न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 30 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. दुर्गाराम उर्फ दुर्गसिंह पुत्र देवाराम
2. खीमा उर्फ खमसिंह पुत्र देवाराम
3. भूरा उर्फ भूरसिंह पुत्र देवाराम
4. मशां उर्फ मंशुसिंह पुत्र देवाराम
5. दौला उर्फ दोलसिंह पुत्र मूलाराम
6. उतमा उर्फ उतमसिंह पुत्र मुलाराम
7. माना उर्फ मानसिंह पुत्र मुलाराम
8. मला उर्फ मलसिंह पुत्र मूलाराम
9. वगता उर्फ वगतसिंह पुत्र हरदान
10. लखमा उर्फ वगतसिंह पुत्र हरदान
11. पोकरराम उर्फ लिखमसिंह पुत्र हरदान
12. मगा उर्फ मगसिंह पुत्र रामा
13. शंकर उर्फ शंकरसिंह पुत्र रामा
14. मोहन उर्फ मोहनसिंह पुत्र रामा
15. दीपा उर्फ दिपसिंह पुत्र रामा
16. माना उर्फ मानसिंह पुत्र खेता
17. सायरो पत्नी खेता
18. उदयसिंह पुत्र निम्बसिंह
19. फूलकंवर पत्नी निम्बसिंह
20. समर्था उर्फ समरथसिंह पुत्र हुकमा
21. मगा उर्फ मगसिंह पुत्र हुकमा
22. मांगसिंह पुत्र लालसिंह
23. चन्दनसिंह पुत्र लालसिंह सभी जाति पुरोहित निवासी सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
24. सकुदेवी पुत्री लालसिंह
25. पांचीदेवी पत्नी लालसिंह जाति पुरोहित

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.सांवलसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
2.मधाराम पुत्र देवाराम
3.किशोर पुत्र मूलाराम
4.विक्रमसिंह पुत्र हड़मानसिंह
5.अर्जुनसिंह पुत्र निम्बसिंह
6.गौतमसिंह पुत्र निम्बसिंह
7.पीराराम पुत्र मूलाराम
8.वीरमाराम पुत्र मूलाराम
सभी जाति पुरोहित निवासी सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।
9.तहसीलदार सिणधरी
10.शाखा प्रबंधक जे.टी.जी.बी. शाखा सिणधरी।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निवासी दाखा तहसील सिणधरी

26. रूपाराम उफ रूपसिंह पुत्र सवा

27. रतनसिंह पुत्र पुनमसिंह

28. वेनसिंह पुत्र पुनमसिंह

29. आसुराम पुत्र मूलाराम सभी जाति पुरोहित
निवासी सोढों की ढाणी तहसील सिणधरी
जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 04/2016 बअनवान सांवलसिंह बनाम दुर्गसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के मेराजा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 14.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 447/49 रकबा 43 बीघा ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 334 रकबा 144.16 बीघा प्रार्थीगण के खेत व सड़क मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खसरे में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार सिणधरी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। परन्तु इस प्रकरण में न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रदत मौका कमिश्न की शक्तियों आगे निरीक्षक भू अभिलेख को हस्तान्तरित कर दी जबकि न्याय का यह सुस्पष्ट मत है कि delegated power can not be delegate और इस मत अनुसार जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय व गलत बनाई गई है। मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकारान के व पड़ोसीयान के हस्ताक्षर नही है तथा न ही मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जल्दबाजी में आकर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधि के अनुकूल नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार सिणधरी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। परन्तु इस प्रकरण में न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रदत मौका कमिश्न की शक्तियों आगे निरीक्षक भू अभिलेख को हस्तान्तरित कर दी जबकि न्याय का यह सुस्पष्ट मतह कि delegated power can not be delegate और इस मत अनुसार जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय व गलत बनाई गई है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकारान के व पड़ोसीयान के हस्ताक्षर नही है तथा न ही तो मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारों को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जल्दबाजी में आकर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

RRT 2016(1) Page 649

निगरानी / टी.ए. / 3804 / 2015 / बाड़मेर

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट / प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 447 / 49 रकबा 43 बीघा ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अभी 10–12 दिन पूर्व जब अपीलांट संख्या 15 अपने पानी के टांके में पानी की टंकी डला रहा था तब उतरदाता संख्या 01 आया तथा पानी भरने से मना किया गया व टांका हटाने की धमकी दी। उतरदाता संख्या 01 द्वारा कथन किया गया कि इस स्थान रास्ता कटाण करवा दिया गया है इस कारण टांका व रांगे हटा दो। तब अपीलांट को अपने अधिकार अंधकार मय लगे जिस पर अपीलाधीन निर्णय की उसी दिन दिनांक 23.03.2018 को नकले मांगी गई। जो नकले तैयार होकर दिनांक 23.03.2018 को प्राप्त हुई। नकल मिलने पर तत्परता से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुआ विलंब का कोई संतोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं किया गया। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 को अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 447/49 रकबा 43 बीघा तक पहुँच हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने पर इसके लिए विवादित आराजी में से रास्ते हेतु आवेदन हुआ। अपीलांट पक्ष द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में एक वैकल्पिक रास्ता इंगित करते हुए बताया। **उस वैकल्पिक रास्ते तक रेस्पोडेंट सख्या 01 के खेत की सीमा से दूरी अपीलाधीन निर्णय से प्रदत्त रास्ते की दूरी से**

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पैमानानुसार कम है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। रास्ते का निर्णय हो जाने के पश्चात अपीलांटगण ने उस रास्ते की भूमि पर बदनीयति से उसके अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से नीवं भरी, जिस पर बाकायदा उनके विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी ने रिपोर्ट की। कार्यवाही जैरकार है। अपीलांट की मंशा रेस्पोडेंट को दिये गए न्यूनतम दूरी एवं आत्यंतिक आवश्यकता वाले रास्ते को येनकेन प्रकारेण बाधित करना है। अपीलांट पक्ष की यह कार्यवाही सद्भाविक एवं स्वच्छ प्रकृति की नहीं है। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत और सर्वथा उचित है, जिसमें दखल की कोई गुंजाईश नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 04/2016 बअनवान सांवलसिंह बनाम दुर्गसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

14/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner